(7)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I/91/PM9/13 New Delhi, dated: 4-12-92.

The General Managers(A/cs)
All Indian Railways.

Sub: Instructions regarding two years service in the immediate lower grade for promotion within Gr'C' in the Accounts Deptt.

Reference have been received from some of the Railways seeking further clarifications with reference to the instructions contained in Board's letters No.E(NG)I/85/PM1/13/RRC dated 19-2-87, 4-11-87 and 13-2-90, on the above subject. The matter has since been considered by the Board carefully and points raised are clarified as under:-

a) Whether an Accounts clerk or junior Accounts Asstt. having qualified in AppIII in earlier batch and so ranking senior to those staff in Accounts Asstt. grade who passed in subsequent years can also be considered for promotion to SO(A)/TIA/ISA grade or the relaxation is applicable only to qualified staff in the grade of Accounts Asstt. which is immediately lower to SO(A)/TIA/ISA. If the relaxation is applicable to Accounts Clerks and JAAs also, then we have the possibility of candidates who are not eligible(service-wise) for promotion as AA(3 years as JAA) getting promoted as SO(A)/TIA/ISA.	The clarification given under Board's letter No. E(NG)I/85/PM1/13(RRC) dated 13-2-90 will be applicable to the Accounts Clerks and JAAs also if the other conditions stipulated therein are fulfilled
b) Whether it will not cause undue hardship to a successful candidate of an earlier batch who becomes ineligible under the present condition to wait till an eligible candidate is found from the same or a subsequent batch.	No undue hardship will be involved as this is a general rule applicable to all cadres of Railways.

.....2

c. Whether it is administrative interest to keep vacancies unfilled when such qualified candidates are available and the practice of promoting them has been in vogue.

The condition of minimum service of 2 years in the immediate lower grade for promotion within Group'C' has been laid down in the administrative interest in acceptance of the recommendation of the Railway Reforms Committee.

d) Whether the promotions already ordered under the earlier practice after the date of issue of Board's letter dated 19-2-87 can be allowed to continue. Any review of the promotions already ordered and consequent reversion and recovery of overpayments is likely to lead to widespread hardship and complications.

Attention is invited to Board's letter No.E(NG)I/85/PM1/13(RRC) dated 4-11-87 wherein it was clarified that there is no objection to selections already notified on the date of issue of these instructions being finalised in terms of instructions in force at the relevant time in so far as the provisions of letter dated 19-2-87 are concerned. Promotions made in contravention of these orders are clearly irregular and responsibility has to be fixed for irregularity involved. However, a seperate reference should be made bringing out the full facts of such cases and overpayments involved for proper appreciation of the case.

e) Whether while applying the relaxation allowed by Board in their letter of 13-2-90, the senior of earlier batch (as per year of examination) will be promoted first or the junior of subsequent examination fulfilling the minimum service condition.

This querry seems to be quite irrelevant as there cannot be two opinions that once the disbility of not completing 2 years service is removed, promotions will be made in the order of seniority.

f) Since for appearing in Appendix III IREM Examination, the zone of consideration is not limited to staff working in the grade of AAs, which is the immediate lower grade to that of SO(A)/TIA/ISA, the minimum requirement of 2 yrs

As a matter of policy, it has been decided that the condition of 2 years service in the immediate lower grade will apply to promotions in Accounts Department also. However, this condition will be relaxed in the case of promotion to the post of SO(A)

...... 3

service in the immediate lower frade of AAs should also not be applicable to promotion as SOs/TIAs/ISAs.	TIAs/ISAs, if the conditions stipulated in Board's letter dated 13-2-90 are fulfilled.
g) The insistence of the condition of 2 years service in the immediate lower grade will act unduly harshly on persons working in seniority units where promotions are not quick enough.	There will be no undue hardship in view of the relaxation allowed under Board's letter of 13-2-90.
h) It is possible for JAA being assigned a higher position than that of an AA. However, even after being assigned such a higher position a JAA cannot be promoted since he has not worked in the grade of AA, which is the immediate lower grade to that of SO(A) etc.	This complication will not arise if the relaxation allowed under Board's letter of 13-2-90 is implemented.
i) Since the seniority of Appendix II & III IREM qualified employees is determined with reference to the batch in which they so qualify, one who has passed in an earlier batch and is consequently deemed senior to those qualifying in subsequent batches should not not be denied promotion merely on the condition of 2 years service in the immediate lower grade. However, it would appear that it has not been visualised that a similar situation could arise even in respect of employees belonging to one and the same batch also.	In this connection, attention is invited to clarification given against Item No.(a). If a given junior is eligible for promotion the senior will also be deemed to be eligible irrespective of the batch they belong to.
j) If the condition of minimum service of 2 years in the immediate lower grade is to be strictly applied in the case of Accounts Department the entire set of instructions contained in Appendix II and III IREM would need to be ammended radically.	There is no need for any radical ammendments in the scheme of ApII & III IREM Examination except the need to amend Para 171(6) contained in Chapter I - Section 'B' of IREM Volume I (Revised Edition-1989) correction slip to which

.....4

will be issued in due course. With the dispensation allowed under Board's letter of 13-290, there would be no damage to the existing scheme. However, if no junior is eligible for promotion because of non-fulfilment of condition of 2 years service in the immediate lower grade, the seniors will wait for completion of requisite service.

(This disposes of Southern Railway's letter No.P(R)608/P/Vo.X dated 29-6-90, South Central Railway's letter No.AAD/SOO dated 11-10-1991, & South Eastern Railway's letter No.Admn/SE/44/Appendix III-A/125 dated 10-1-92.)

Please acknowledge receipt.

(K.B. LALL)
DIRECTOR, ESTABLISHMENT(N)

Copy to: EDA, DF(CCA)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)।/91/पीएम9/13 नई दिल्ली, दिनांक: 4.12.92

महाप्रबंधक(लेखा),
सभी भारतीय रेलें।

विषय : लेखा विभाग में ग्रुप "सी" के भीतर पदोन्नति के लिए, ठीक निचले ग्रेड में दो वर्ष की सेवा से संबंधित अनुदेश।

कुछ रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के 19.2.87, 4.11.87 तथा 13.2.90 के पत्र सं. ई(एनजी)।/85/पीएम1/13/आर.आर.सी. में अंतर्विष्ट अनुदेशों के संबंध में आगे और स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। बोर्ड द्वारा इस मामले पर भली-भांति विचार किया गया है तथा उठाये गये मुद्दों के संबंध में स्थिति नीचे स्पष्ट की जाती है :-

(क)	क्या किसी ऐसे लेखा क्लर्क या जूनियर लेखा सहायक को अनु. अधि. (लेखा)/टीआईए/आईएसए के रूप में पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है, जिसने एपेंडिक्स-III की परीक्षा पहले के किसी बैच में पास की हो तथा इस प्रकार लेखा सहायक ग्रेड में उन कर्मचारियों से वरिष्ठ स्थान पर हो जिन्होंने यह परीक्षा बाद के वर्षों में पास की हो अथवा यह छूट लेखा सहायक के ग्रेड में, जो कि अनु. अधि. (लेखा)/टीआईए/आईएसए से ठीक नीचे का ग्रेड है, अर्हता प्राप्त कर्मचारियों पर ही लागू होगा। यदि यह छूट लेखा क्लर्कों तथा जूनियर लेखा सहायकों के लिए भी लागू हो, तो हमारे पास ऐसे उम्मीदवारों को अनु. अधि. (लेखा)/टीआईए/आईएसए के रूप में पदोन्नत करने की संभावना है जो लेखा सहायक (कनि. लेखा सहा. के रूप में 3 वर्ष) के रूप में पदोन्नति के पात्र (हकदार) नहीं हैं।	बोर्ड के 13.2.90 के पत्र सं. ई(एनजी)।/85/पीएम1/13(आरआरसी) में दिया गया स्पष्टीकरण लेखा क्लर्कों तथा कनि. लेखा सहायकों के मामले में भी लागू होगा। बशर्ते कि उसमें उल्लिखित अन्य शर्तें पूरी होती हों।

....2/-

(ख) क्या पहले के बैच में सफल हुए उम्मीदवार, को, जो मौजूदा शर्त के अनुसार अयोग्य हो जाता है, तब तक प्रतीक्षा करने में अनुचित परेशानी नहीं होगी जब तक कि उसी बैच या उसके बाद वाले बैच का कोई पात्र उम्मीदवार नहीं मिल जाता ।

इसमें कोई अनुचित परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह एक सामान्य नियम है जो रेलों के सभी संवर्गों में लागू होता है ।

(ग) क्या इस प्रकार के अर्हक उम्मीदवार उपलब्ध होने पर रिक्तियों को खाली रखना प्रशासनिक हित में होगा, जबकि उनकी पदोन्नति की परिपाटी प्रचलित है ।

ग्रुप "सी" के भीतर पदोन्नति के लिए, ठीक निचले ग्रेड में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की शर्त, रेल सुधार समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, प्रशासनिक हित में रखी गयी है ।

(घ) क्या बोर्ड के 19.2.87 के पत्र के जारी होने के बाद, पूर्ववर्ती परिपाटी के अनुसार की जा चुकी पदोन्नतियों को जारी रहने दिया जा सकता है । पहले की जा चुकी पदोन्नतियों की पुनरीक्षा करने तथा इसके फलस्वरूप पदावनति एवं अधिक भुगतान की वसूली के कारण, बहुत सी कठिनाइयां तथा जटिलताएं सामने आएंगी ।

बोर्ड के 4.11.87 के पत्र सं. ई(एनजी)I/85/पीएम1/13(आरआरसी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से पहले जिन प्रवरणों के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी हो, उन्हें तत्समय लागू अनुदेशों, जहां तक 19.2.87 के पत्र के प्रावधानों का संबंध है, के अंतर्गत अंतिम रूप दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन, इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए की गई पदोन्नतियां

.....3/--

स्पष्ट तथा अनियमित हैं तथा इस तरह की अनियमितता के लिए जिम्मेदारी निश्चित करनी होगी । बहरहाल, ऐसे मामलों का पूरा ब्यौरा देते हुए और यह बताते हुए कि उनमें कितना अधिक भुगतान अंतर्ग्रस्त है, अलग से एक पत्र भेजा जाए, ताकि मामले का ठीक से विवेचन किया जा सके ।

(ङ.) बोर्ड के 13.2.90 के पत्र में दी गयी छूट को लागू करते समय, क्या पहले वाले बैच के सीनियर (परीक्षा-वर्ष के अनुसार) को पहले पदोन्नत किया जाएगा अथवा न्यूनतम सेवा-शर्त पूरी करने वाले पश्चवर्ती परीक्षा के किसी जूनियर को ।

यह जिज्ञासा पूर्णतः अप्रासंगिक प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि दो वर्ष की सेवा पूरी न करने की अयोग्यता को एक बार हटा दिए जाने के बाद, पदोन्नतियां वरिष्ठता-क्रम के अनुसार की जाएंगी ।

(च) चूंकि परिशिष्ट-III आईआरईएम की परीक्षा में बैठने के लिए विचार क्षेत्र के अंतर्गत केवल वही कर्मचारी नहीं आते जो लेखा सहायक के ग्रेड, जो कि अनु. अधि. (लेखा)/टीआईए/आईएसए से ठीक नीचे का ग्रेड है, में कार्यरत हों, ठीक निचले ग्रेड में, अर्थात् लेखा सहायक के ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा की न्यूनतम शर्त भी अनु. अधि. (लेखा)/टीआईए/आईएसए के रूप में पदोन्नति पर लागू नहीं होनी चाहिए ।

नीति के रूप में, यह विनिश्चय किया गया है कि ठीक निचले ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा की शर्त लेखा विभाग में पदोन्नतियों पर भी लागू होगी । बहरहाल, अनु. अधि. (लेखा)/टीआईए/आईएसए के पद पर पदोन्नति के मामले में, इस शर्त में ढील दी जाएगी बशर्ते कि बोर्ड के 13.2.90 के पत्र में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों ।

(छ) ठीक निचले ग्रेड में 2 वर्ष कीसेवा की शर्त पर आग्रह करने से, ऐसी वरिष्ठता इकाइयों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को बेवजह परेशानी होगी जहां पदोन्नतियां काफी जल्दी नहीं होतीं ।	बोर्ड के 13.2.90 के पत्र में दी गई छूट को दृष्टिगत रखते हुए, कोई बेवजह परेशानी नहीं होगी ।
(ज) यह संभव है कि किसी जूनियर लेखा सहा. को लेखा सहायक से उच्चतर स्थिति में रखा जाए । बहरहाल, इस तरह उच्चतर स्थिति के रखे जाने के बाद भी, जूनियर लेखा सहायक को पदोन्नति नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसने लेखा सहायक के ग्रेड में, जो कि अनु. अधि. (लेखा) आदि से ठीक नीचे का ग्रेड है, कार्य नहीं किया है ।	यदि बोर्ड के 13.2.90 के पत्र के अंतर्गत दी गई छूट पर अमल किया जाता है, तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी ।
(झ) चूंकि परिशिष्ट-।। एवं ।।। आईआरईएम की परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों की वरिष्ठता उस बैच के संदर्भ में निर्धारित की जाती है, जिसमें उन्होंने परीक्षा पास की हो, इसलिए किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसने पहले वाले बैच में परीक्षा पास की हो और फलतः उसे बाद के बैच में पास हुए कर्मचारियों से सीनियर माना गया हो, केवल इस शर्त पर पदोन्नति देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए कि उसने ठीक निचले ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है । बहरहाल, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि एक ही बैच के कर्मचारियों के संबंध में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।	इस संबंध में, मद सं. (ए) में दिए गए स्पष्टीकरण की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है । यदि कोई जूनियर व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्र हो, तो सीनियर व्यक्ति को भी पात्र माना जाएगा, चाहे वह किसी भी बैच का हो ।

(अ) ठीक निचले ग्रेड में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की शर्त को यदि लेखा विभाग के मामले में कड़ाई से लागू किया जाना है, तो परिशिष्ट-।। एवं ।।।, आईआरईएम में अंतर्विष्ट अनुदेशों के संपूर्ण सेट में मूलभूत संशोधन करने की आवश्यकता होगी ।

आईआरईएम वाल्यूम-। (संशोधित संस्करण-1989) के खंड "बी" के अध्याय । में अंतर्विष्ट पैरा 171(6) के अलावा, जिसके लिए शुद्धि पत्र यथा-समय जारी कर दिया जाएगा, परिशिष्ट-।। एवं ।।। आईआरईएम परीक्षा की योजना में कोई मूलभूत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है । बोर्ड के 13.2.90 के पत्र में दी गई छूट के परिणामस्वरूप, वर्तमान योजना को कोई क्षति नहीं होगी । बहरहाल, ठीक निचले ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा की शर्त पूरी न करने के कारण, यदि कोई जूनियर व्यक्ति पदोन्नति का पात्र नहीं होता, तो सीनियर व्यक्ति अपेक्षित सेवा पूरी होने तक प्रतीक्षा करेंगे ।

इससे दक्षिण रेलवे के 29.6.90 के पत्र सं. पी(आर)608/पी/वाल्यूम, दक्षिण मध्य रेलवे के 11.10.91 के पत्र सं. एएडी/एसओओ तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के 10.1.92 के पत्र सं. एडमिन/एसई/44/एपेंडिक्स।।।-ए/125 का निपटारा हो जाता है ।

कृपया पावती दें ।

(के. बी. लाल)
निदेशक स्था. (अराज.)/रेलवे बोर्ड ।

प्रतिलिपि: का. नि. ले. नि. वि. (सीसाए)